**संख्या-86/2021/2314ई-2/तेरह-2019-99077**

प्रेषक,

**उमेश कुमार तिवारी,**

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

**विषयः- मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा. लि. नगीना रोड, जनपद बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख लीटर के अंतर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 198 लाख लीटर से घटाकर 60 लाख लीटर तथा शेष 270 लाख लीटर को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-72/दो-प्रा.डी.-70, दिनांक 24-11-2021 एवं इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07-12-2021 को आयोजित बैठक सम्बन्धी कार्यवृत संख्या-2400ई-2/तेरह-2021-99077, दिनांक 09-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप के उक्त पत्र दिनांक 24-11-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा. लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर द्वारा पेय मदिरा की बिक्री स्वीकृत पेय क्षमता के सापेक्ष न कर पाने तथा विभिन्न पेट्रोलियम डिपो को एथनॉल की आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा. लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 198 लाख लीटर को घटाकर 90 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

240 लाख लीटर वार्षिक को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) मेसर्स मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा. लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख ली. वार्षिक का 60 प्रतिशत अर्थात 198 लाख लीटर प्रतिवर्ष पेय मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-23/2020/243ई-2/तेरह-2020-139/2013, दिनांक 26-02-2020 द्वारा में लगाये गये अन्य प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।